राजेश कुमार, भा०प्र०से०, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2014 को राजस्व की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थितिः- यथा पंजी के अनुसार।

विषयवार समीक्षोपरान्त दिये गये निदेश की विवरणी निम्नवत् है -

1. **<u>लोक सेवा का अधिकार अधिनियम :-</u>**

समाहर्त्ता द्वारा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आर०टी०पी०एस०) अन्तर्गत प्रदत्त सेवा की समीक्षा की गई। उपस्थित आई०टी० मेनेजर द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन Expiry नहीं है। अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन आवेदनों को प्रत्येक दिन डाउनलोड किया जा रहा है। समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन आवेदनों को प्रत्येक दिन डाउनलोड किया जाना संबंधित अंचलाधिकारियों का दायित्व है। इस हेतु डाटा कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया कि आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं को ससमय प्रदान किया जाय एवं विधिवत निष्पादन करते हुए Expiry आवेदनों की संख्या शून्य रखा जाय। समाहर्त्ता द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत प्रदत्त सेवा की अंचलवार पाक्षिक अनुश्रवण नियमित रूप से करने का निदेश दिया गया। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता-सह-अपीलीय प्राधिकार को Expiry आवेदनों पर Suo-Moto अपील की कार्रवाई प्रारंभ करने एवं Expiry आवेदनों को निस्तारित कराने हेतु निदेशित किया। प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्त्ता प्रत्येक ुानिवार को इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगें।

2. **<u>भूमि विवाद निराकरण अधिनियम :-</u>**

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा समाप्ती पश्चात बड़ी संख्या में वादों के लंबित रहने पर समाहर्त्ता द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत वादों के निशपादन हेतु निदेशित किया गया। उन्होनें यह भी निदेशित किया कि सभी अंचलाधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर पारित आदेशों का

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। B.L.D.R.A. में पारित आदेशों का अनुपालन ससमय हो, इसका अनुश्रवण सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे।

3. सैरात :-

समीक्षोपरान्त सैरातों की बन्दोवस्ती असंतोषप्रद पायी गई। समीक्षोंपरान्त पाया गया कि विभागीय वसूली किये जा रहे बड़े सैरातों में वसूली कम हो रही है। जलालगढ़ बस पड़ाव का सुरक्षित जमा राशि 9.53 लाख के विरूद्ध विभागीय वसूली अबतक मात्र 2.61 लाख ही हुई है। हरदा हाट की सुरक्षित जमा राशि 20.12 लाख है जिसके विरूद्ध मात्र 1.16 लाख की वसूली हुई है। अंचलाधिकारी जलालगढ़ द्वारा बताया गया कि एन0एच0 के बन जाने के कारण अब कम गाड़ी वहाँ रूकती है जिससे वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपस्थित अंचल निरीक्षक, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा बताया गया कि एन0एच0 के चौड़ीकरण के कारण हाट के स्थान में कमी आई है जिससे वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समाहर्त्ता द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि उन सैरातों का जिनमें विभागीय वसूली की जा रही है का जांच कर जांच प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को उपलब्ध कराया जाय। उन्होनें बताया कि विभागीय वसूली वाले सैरातों की पुनः समीक्षा अगले समीक्षात्मक बैठक में की जाएगी। अपर समाहर्त्ता द्वारा पुनः सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि यदि किसी सैरात में स्थाई/अस्थाई परता धोषित करने का मामला है तो विधिवत् अभिलेख का संधारण कर अभिलेख उपलब्ध कराया जाय जिससे कि यथा शीध्र इस संबंध में कार्रवाई की जा सके। समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को आदेशित किया गया कि जिन सैरातों का विभागीय वसूली हो रहा है, उसकी वसूली निर्धारित सुरक्षित जमा राशि (वर्ष 2014-15) से कम नहीं हो तथा वसूल की गयी राशि को संबंधित शीर्ष में कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. महादलित विकास योजना :-

महादलित विकास योजनान्तर्गत द्वितीय चरण के वासभूमि हेतु लंबित परिवारों को अद्यतन वास भूमि उपलब्ध नहीं कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। समाहर्त्ता द्वारा अंचलाधिकारी पूर्णियाँ पूर्व, डगरूआ, बनमनखी एवं बी0 कोठी को लंबित परिवारों को एक सप्ताह अन्तर्गत वास

भूमि उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उन्होनें बताया कि अवशेष परिवारों को वास भूमि एक सप्ताह अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी का वेतन भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा। समाहर्त्ता द्वारा अभियान बसेरा अन्तर्गत प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होनें बताया कि अभियान बसेरा राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी महादलित परिवार को वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इस अभियान के कार्यान्वयन में लापरवाही बरते जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अभियान बसेरा का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता इसकी समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करेंगे।

5. <u>वासगीत पर्चाः-</u>

समीक्षोपरान्त वासगीत पर्चा वितरण की स्थिति असंतोषप्रद पायी गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जलालगढ़ अंचल में 22, के0 नगर अंचल में 108, डगरूआ अंचल में 26, भवानीपुर अंचल में 15 एवं रूपौली अंचल में 39 मामलें लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचलाधिकारी को वासगीत पर्चा के लंबित मामलों का विधिवत त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे स्वंय वासगीत पर्चा निर्गत करने के पूर्व स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच करेंगे।

6. <u>भू-मापीः-</u>

भू-मापी की स्थिति असंतोषप्रद पायी गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू-मापी के 80 मामले पूर्णियाँ पूर्व, 22 मामले कसबा, 21 मामले बायसी, 98 मामले भवानीपुर एवं 20 मामले रूपौली अंचल में लंबित है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि भू-मापी के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाय। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि वे स्वंय इसकी समीक्षा कर समुचित कार्रवाई करेंगे।

7. <u>गैर मजरूआ मालिक भूमिः-</u>

समाहर्त्ता द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि के वितरण पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होनें बताया कि गत समीक्षात्मक बैठक में सभी अंचलाधिकारी को कम-से-कम 10 एकड़ गैर

मजरूआ मालिक भूमि वितरण हेतु सार्थक प्रयास करने का निदेश दिया गया था परन्तु किसी भी अंचल द्वारा भूमि का वितरण नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को गैरमजरूआ मालिक भूमि के वितरण की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। भूहदबंदी से अर्जित भूमि को भी सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के साथ नियमानुसार बन्दोवस्त किया जाना है परन्तु इस दिशा में प्रगति शून्य है। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा अपने अनुमंडल में इसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

8. <u>ऑपरेशन भूमि दखल दहानीः-</u>

समाहर्त्ता द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि ऑपरेशन भूमि दखल दहानी अन्तर्गत निर्धारित तिथि एवं स्थान पर विशेष शिविर का आयोजन कर पर्चाधारियों को आवंटित भूमि का भौतिक सत्यापन की जाय। शिविर में बेदखली के मामलों को चिन्हित की जाय एवं चिन्हित बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि में दखल दिलाने हेतु नियमसम्मत कार्रवाई की जाय। उन्होनें बताया कि यह कार्य माह दिसम्बर 14 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाना है। उन्होनें बताया कि ऑपरेशन भूमि दखल दहानी में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारी के विरूद्ध नियमसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

9. <u>राजस्व संबंधी अन्य कार्यो का निशपादनः-</u>

सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि निम्नांकित बिन्दुओं पर भी विशेष अभिरूची लेकर कार्रवाई की जायः-

1. भू-हदबंदी से प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण।
2. विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की नियमित सुनवाई एवं निस्तार।
3. भू-दान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का वितरण।
4. भू-हदबंदी/भू-दान/गैर मजरूआ मालिक (बन्दोवस्त) के बेदखली संबंधी मामले की नियमित सुनवाई एवं निस्तार (सभी श्रेणी के)
5. भू-हदबंदी/भू-दान/गैर मजरूआ मालिक (बन्दोवस्त) के बेदखली में महादलित परिवारों के बेदखली संबंधी मामले की नियमित सुनवाई एवं निस्तार।

6. भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र का ससमय वितरण।

7. सभी प्रकार के लोक भूमि के अतिक्रमण के मामले एवं निष्पादन की अद्यतन स्थिति।

8. ए0सी0/डी0सी0 का सामंजन।

9. लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन।

10. बिहार विधान सभा/विधान परिशद् में लंबित निवेदन आ वासन के अनुपालन की समीक्षा।

11. जन शिकायत के मामलों का ससमय निष्पादन।

12. कृषि -गणना 2010-11 (अनुसूची 'एच') में कार्य प्रगति प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अधीनस्थ कार्यालय/हल्का का नियमित निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। उन्होनें यह भी निदेशित किया कि आंगनबाड़ी केन्द्र, जन वितरण प्रणाली के दुकानों, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आदि की भी निरंतर निरीक्षण किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-
समाहर्त्ता
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 3625/रा0, पूर्णियाँ, दिनांक 17.12.14

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी नोडल पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।

Raje Lt.
17/12/2014
समाहर्त्ता
पूर्णियाँ